न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 141 सन 2020
अनवान :–

1. परमजीतसिह पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. देवेन्द्र पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर हनुमानगढ
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 07/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 आरएमजी के खाता संख्या 36/29 की कुल 3.036हैक भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 1 आरएमजी के खाता संख्या 27/21 की कुल 4.262हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है।

वादी एवं प्रतिवादी संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एव उनके पूर्वजों के नाम वाद भूमियों के अलावा अन्य भूमि भी थी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सयुक्त परिवार की आय से भूमिया खरीद की गई थी जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अच्छी किस्म की भूमि अधिक दर्ज हो गई थी।

वादी व प्रतिवादी जो एक ही परिवार के सदस्य है ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किस्म भूमि के अनुसार कर लिया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि वादी का प्राप्त हुई थी उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनसुार दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी बाहमी बटवारा के अनुसार बाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का भाई है के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भूमियों उनके पिता ने दर्ज करवाई गई थी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बाहमी बटवारा हुआ है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा शामिल मिसल किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकवाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही गौजा चक 1 आरएमजी के खाता संख्या 36/29 की कुल 3.036हैक भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 1 आरएमजी के खाता संख्या 27/21 की कुल 4.262हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है।

वादी एवं प्रतिवादी सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एव उनके पूर्वजों के नाम वाद भूमियों के अलावा अन्य भूमि भी थी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने वादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सयुक्त परिवार की आय से भूमिया खरीद की गई थी जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अच्छी किरम की भूमि अधिक दर्ज हो गई थी।

वादी व प्रतिवादी जो एक ही परिवार के सदस्य है ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किरम भूमि के अनुसार कर लिया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि वादी का प्राप्त हुई थी उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाचिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है तथा सयुक्त परिवार की आय से अर्जित भूमि में परिवार के सभी सदस्यो का हक हिस्सा होगा इसप्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णत्या चस्पा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 आरएमजी के खाता संख्या 36/29 की कुल 3.036हैक्ट भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 1 आरएमजी के खाता संख्या 27/21 की कुल 4.262हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के पिता रामकिशन ने अपने जीवनकाल में अन्य पैतृक सम्पति व सयुक्त परिवार की आय से वादी व प्रतिवादी 1 के नाम से करवाई गई थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका वादी व प्रतिवादी जो एक ही परिवार के सदस्य है आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद व प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज ही हैव अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया गया है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है की सयुक्त परिवार की आय एव पैतृक सम्पति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पति भी पैतृक सम्पति की श्रेणी आती है अर्थात परिवार के सभी सदस्यो के हक हिस्सा की भूमि है वादी भूमि पैतृक सम्पति सावित होने व आपसी सहमति से भूमि का विभाजन पर ऐतराज नही होन के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एव वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 आरएमजी के खाता संख्या 27/21 की कुल 4.262 है भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का वादी एवं रोही मौजा चक 1 आरएमजी के खाता संख्या 36/29 की कुल 3.0360हैक्ट जो वादी के नाम से दर्ज है का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार धोपित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनगुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीव तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. परमजीतसिंह पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 देवेन्द्र पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 141 सन 2020 निर्णय दिनांक–07/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 आरएमजी के खाता संख्या 27/21 की कुल 4.262 है भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का वादी एवं रोही मौजा चक 1 आरएमजी के खाता संख्या 36/29 की कुल 3.0360हैक जो वादी के नाम से दर्ज है का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner